संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/आईएनटी/ओआरडी/विविध/269/10/2021

दिनांकः 17-11-2021

आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 37(1) के साथ पठित विनियम 6(1) के अधीन मेसर्स 5पैसा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड के मामले में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इस आदेश में इसके बाद "**प्राधिकरण**" के रूप में उल्लिखित) को आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 (इस आदेश में इसके बाद "**विनियम**" के रूप में उल्लिखित) के विनियम 5 के अनुसार प्रत्यक्ष बीमा दलाल (जीवन और साधारण) के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की अपेक्षा करते हुए मेसर्स 5पैसा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नं. 16वी, प्लाट नं. बी-23, एमआईडीसी, थाने इंडस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, थाने-400604 में है, (इस आदेश में इसके बाद "**आवेदक**" के रूप में उल्लिखित) से यूआरएन सं. बीआर-एनईडब्ल्यू-3666-2019 दिनांक 14.11.2019 के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ।

2. उक्त विनियमों के विनियम 7(1) के अनुसार, आवेदन फार्म और उसके अनुलग्नकों की जाँच करने के बाद, प्राधिकरण ने अपने पत्र सं. आईआरडीएआई/डीबी 800/02/19 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा आवेदक को प्राधिकरण को कुछ स्पष्टीकरण/दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया। चूँकि आवेदक से कोई उत्तर नहीं मिला था, अतः प्राधिकरण ने दो स्मरण-पत्र अर्थात् पहला स्मरण-पत्र दिनांक 03.01.2020 के अनुसार तथा दूसरा स्मरण-पत्र पत्र दिनांक 03.02.2020 के अनुसार जारी किये तथा आवेदक को अपना उत्तर शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया।

3. आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 03.02.2020 के अनुसार व्यवसाय विश्लेषण-विज्ञान पोर्टल (बीएपी) पर दस्तावेजों के साथ अपना उत्तर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया। आवेदक के उत्तर की जाँच की गई तथा निम्नलिखित बातें पाई गईं :-

क) मेसर्स 5पैसा कैपिटल लिमिटेड (इस आदेश में इसके बाद "5पीसीएल" के रूप में उल्लिखित) आवेदक कंपनी के 99.99 प्रतिशत शेयर धारित कर रही है।

ख) मेसर्स इंडिया इन्फोलाइन समूह ने एक दलाली संस्था अर्थात् आईआईएफएल इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. (प्रत्यक्ष दलाल) का प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये गये लाइसेंस सं. 2009 का डीबी- 314/05 के अनुसार (इस आदेश में इसके बाद "आईआईएफएलआईबीएल" के रूप में उल्लिखित) किया।

ग) आवेदक संस्था अर्थात् 5पीआईबीएल, 5पीसीएल और आईआईएफएलआईबीएल का पंजीकृत कार्यालय एक ही अर्थात् आईआईआईएफएल हाउस, सन इनफोटेक रोड नं. 16वी, प्लाट सं. बी-23, थाने-400 604 है।

घ) वेबसाइट https://www.5paisa.com 5पीसीएल के सामित्व में है तथा बीमा सहित वित्तीय सेवाओँ की सूचना के लिए उपर्युक्त वेबसाइट में स्थान दिया गया है। इसके अलावा, बीमा लिंक क्लिक करने पर

वेब पेज संभावित ग्राहकों को https://www.iiflinsurance.com के प्रति निर्दिष्ट करता है जो आईआईएफएलआईबीएल के स्वामित्व में है।
ङ) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आवेदक के वार्षिक लेखों में संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण (एएस 18) के संबंध में नोट 11 उल्लेख करता है कि आवेदक संस्था के सभी संबंधित पक्षकार इंडिया इन्फोलाइन की समूह कंपनियाँ हैं।
च) उपर्युक्त को देखते हुए यह समझा जाता है कि आवेदक इंडिया इन्फोलाइन समूह के अंतर्गत आता है तथा आईआईएफएलआईबीएल को एक प्रत्यक्ष दलाल के रूप में प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

4. प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 29.04.2020 के द्वारा आवेदक से स्पष्टीकरण माँगा कि क्या वे इंडिया इन्फोलाइन के समूह का भाग हैं अथवा नहीं। विनियमों के विनियम 7(2) के अनुसार आवेदक ने प्राधिकरण के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का कोई उत्तर सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्राधिकरण ने दिनांक 17.06.2020 के पत्र (पहला स्मरण-पत्र) और दिनांक 29.06.2020 के पत्र (दूसरा स्मरण-पत्र) के द्वारा आवेदक को अनुस्मारक प्रेषित किये।

5.आवेदक ने दिनांक 08.07.2020 के पत्र के अनुसार अपना उत्तर प्रस्तुत किया तथा निम्नलिखित बातें पाई गईं –

क) आईआईएफएलआईबीएल और आवेदक अर्थात् 5पीआईबीएल का अंतिम प्रवर्तक एक ही है।

ख) 5पीसीएल और आवेदक एक ही प्रवर्तक समूह से संबंधित हैं। बीमा संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए 5पीसीएल अपनी वेबसाइट में उक्त लिंक के माध्यम से आईआईएफएलआईबीएल की ओर अपने ग्राहकों का विपथन कर रही है। इसके अलावा, यह प्रस्तुतीकरण किया गया है कि उनके ग्राहकों का विपथन करने के लिए आईआईएफएलआईबीएल के साथ कोई वाणिज्यिक व्यवस्था अथवा संबंध नहीं है और उनका आशय 5पैसा समूह के अंतर्गत ग्राहकों की सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है।

ग) आवेदक संस्था ने दोहराया कि 5पैसा और इंडिया इन्फोलाइन समूहों का प्रवर्तक एक ही है। उन्होंने प्रस्तुतीकरण किया कि उक्त समूह के अंदर 5पीसीएल सहित प्रत्येक संस्था एक नीति के रूप में सुनिश्चित करती है कि उसके समस्त व्यवसाय/ परिचालनों, निधियों/ आय और व्ययों, आस्तियों और देयताओं आदि का प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध स्वयं ही कर लिया जाए। अतीत में व्यवसाय के सुचारु रूप से संचालन के लिए समूह कंपनियों के अंदर लेनदेन किये जाते थे तथा ऐसे लेनदेन व्यवसाय के सामान्य दौर में थे और पूर्णतया स्वतंत्र संव्यवहार (आर्म्स लेंग्थ) के आधार पर थे।

घ) आवेदक संस्था ने उक्त प्रस्तुतीकरण दोहराते समय कहा कि 5पैसा और इंडिया इन्फोलाइन समूहों का प्रवर्तक एक ही है, उक्त विनियमों के विनियम 3(2) को उद्धृत किया, जो निर्धारित करता है कि हितों का कोई संघर्ष न होने के अधीन प्राधिकरण एक ही समूह के अंतर्गत गुण-दोष के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उनके आवेदन पर विचार कर सकता है। आवेदक ने यह भी प्रस्तुतीकरण किया कि आईआईएफएलआईबीएल और आवेदक संस्था प्रबंधन, व्यवसाय-वार, परिचालन और क्रियाशीलता, बुनियादी व्यवस्था-वार आदि के तौर

पर भिन्न और पृथक् हैं तथा मानव संसाधनों के अलग समूह के साथ संचालित की जाती हैं एवं इस कारण से हितों का कोई संघर्ष नहीं होगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध किया।

ङ) आवेदक ने प्राधिकरण से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उन्हें एक अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया।

6. आवेदक के अनुरोध के आधार पर प्राधिकरण ने पत्र सं. आईआरडीएआई/डीबी 800/ 04/19 दिनांक 01.09.2020 के अनुसार विनियमों के विनियम 7(3) के अधीन आवेदक को एक अवसर 03.09.2020 को प्रदान किया। उक्त वैयक्तिक सुनवाई में आवेदक संस्था से अधिकारी अर्थात् श्री मयूर प्रेमजी डेढ़िया, प्रधान अधिकारी, श्री प्रकाश गगदानी, निदेशक, और श्री संतोष जयराम उपस्थित थे तथा प्राधिकरण से सदस्य (वितरण), मुख्य महाप्रबंधक (मध्यवर्ती), सहायक महाप्रबंधक (दलाल) और सहायक प्रबंधक (लाइसेंसीकरण) उपस्थित रहे।
7. वैयक्तिक सुनवाई के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने आवेदक को सूचित किया कि वे प्राधिकरण को किये गये प्रस्तुतीकरणों के अतिरिक्त, अपना पक्ष, यदि कोई हो, सुनवाई से पहले प्रस्तुत करें। आवेदक से यह भी कहा गया कि यह स्पष्ट करें कि वे आईआईएफएल समूह से कैसे भिन्न हैं और अंतिम हिताधिकारी कौन हैं।
8. तदनुसार, प्राधिकरण ने पत्र सं. आईआरडीएआई/डीबी 800/05/19 दिनांक 22.09.2020 के द्वारा आवेदक से स्पष्टीकरण/दस्तावेज/सूचना माँगी। आवेदक ने पत्र दिनांक 01.10.2020 के द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 10.10.2020 तक अतिरिक्त समय की माँग की जो प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया। चूँकि आवेदक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः प्राधिकरण ने 22.10.2020 को बीएपी पोर्टल पर आवेदक को अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक स्मरण-पत्र भेजा।
9. आवेदक ने अपने पत्र दिनांक 23.10.2020 के अनुसार आईआईएफएलआईबीएल और 5पीसीएल के फार्म सं. बीईएन-2 के साथ अपना उत्तर प्रस्तुत किया। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच की गई है तथा निम्नलिखित बातें पाई गई हैं :-
   क) आवेदक और आईआईएफएल इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. (आईआईएफएलआईबीएल) के प्रवर्तक और अंतिम हिताधिकारी मालिक/शेयरधारक समान ही हैं।
   ख) दोनों संस्थाएँ अर्थात् आवेदक और आईआईएफएलआईबीएल, आईआईएफएल समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों के संबंधित पक्षकार हैं।
10. उपर्युक्त तथ्यों और आवेदक द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों के आधार पर प्राधिकरण ने पत्र सं. आईआरडीएआई/डीबी 800/06/19 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा कारण बताओ नोटिस (इस आदेश में इसके बाद "**एससीएन**" के रूप में उल्लिखित) जारी किया और उक्त विनियमों के विनियम 37(1) के उपबंधों का संदर्भ दिया, जो *"एक कारपोरेट समूह हेतु एकल दलाली पंजीकरण प्रदान करने"* के लिए व्यवस्था करता है।
11. उपर्युक्त विनियमों के अनुसार, एक कारपोरेट समूह को दलाल की एक ही श्रेणी में केवल एक ही पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा। अतः विनियमों के अंतर्गत एक ही समूह की कई दलाली संस्थाओं को एक ही प्रकार का एकसमान श्रेणी का दलाली पंजीकरण रखने की अनुमति नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, आवेदक को अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया गया कि प्रत्यक्ष बीमा दलाल (जीवन और साधारण) के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र

की अपेक्षा करते हुए प्रस्तुत आवेदन को उक्त विनियमों के विनियम 6(1) के अंतर्गत क्यों नहीं अस्वीकृत किया जाए। आवेदक यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में वैयक्तिक सुनवाई की माँग कर सकता है।

12. आवेदक ने 15.07.2021 तक समय बढ़ाने की माँग करने के बाद अपना उत्तर अपने पत्र दिनांक 07.07.2021 के अनुसार (बीएपी पोर्टल पर 09.07.2021 को अपलोड किया गया) प्रस्तुत किया तथा उसने इस विषय में किसी वैयक्तिक सुनवाई की अपेक्षा नहीं की।

13. उक्त उत्तर की जाँच की गई तथा आवेदक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान करने के लिए विचारार्थ अपने अनुरोध के समर्थन में दिनांक 08.07.2020 के अपने पत्र के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अलावा, कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और किये गये प्रस्तुतीकरणों पर विचार करने के उपरांत यह प्रमाणित हुआ है कि आईआईएफएल समूह, जो आवेदक कंपनी का अंतिम/हिताधिकारी स्वामी है, के पास अपने समूह के अंदर पहले से ही एक दलाली कंपनी पंजीकरण है अर्थात् मेसर्स आईआईएफएल इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. एक प्रत्यक्ष बीमा दलाल (जीवन और साधारण) के रूप में प्राधिकरण के पास पंजीकृत है। समूह संस्था के अंदर प्रत्यक्ष दलाली पंजीकरण के विद्यमान होने के बावजूद आवेदक ने उसी समूह के अंतर्गत एक प्रत्यक्ष बीमा दलाल (जीवन और साधारण) के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की अपेक्षा करते हुए प्राधिकरण के पास आवेदन प्रस्तुत किया है। यह आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 37(1) का उल्लंघन है।

14. उपर्युक्त तथ्यों और प्राधिकरण के पास उपलब्ध अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण उक्त विनियमों के विनियम 6(1) के अंतर्गत अपने में निहित शक्तियों के अनुसार इसके द्वारा मेसर्स 5पैसा इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड द्वारा दाखिल किये गये यूआरएन सं. बीआर-एनईडब्ल्यू-3666-2019 दिनांक 14.11.2019 से युक्त आवेदन को अस्वीकार करता है क्योंकि विनियम 37(1) *"एक कारपोरेट समूह को एकल दलाली पंजीकरण प्रदान करने"* के लिए व्यवस्था करता है।

15. यदि आवेदक इस आदेश से असंतुष्ट है, तो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 110 के अधीन निर्धारित उपबंधों के अनुसार प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

हस्ता./-
(एस. एन. राजेस्वरी)
सदस्य (वितरण)

दिनांकः 09.11.2021
स्थानः हैदराबाद